



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अ./हि.शि.यो./संगठन/2014/

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक, पीडीयूएनएसएस,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक कार्यालय,
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.का./आं.प्र.सं.),
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय, (प्र.से.प्र.)

विषय: हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन - अगस्त, 2017 ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) के पत्र सं. 13/1/2017 /उ.नि.(टं/आ)/2080-2580 दिनांक 06.06.2017 की प्रति (संलग्न) आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है । आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय में हिंदी प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को उक्त सत्र में नामित कर प्रशिक्षण दिलवाएं ।

कृपया कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवश्य सूचित करें ।

संलग्न: यथोपरि ।

भवदीया,

(वीणा रानी यादव)

उप निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

- (1) सभी उप-निदेशक (रा.भा.) को संबंधित कार्यालय के माध्यम से सूचनार्थ ।
- (2) सभी सहायक निदेशक (रा.भा.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (3) क्षे.आ.(एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

(वीणा रानी यादव)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष : 26173775

संख्या/No : 13/1/2017-उ.नि.(टं.आ.)/२०८० - २५८०

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण

HINDI TEACHING SCHEME (NORTH-CENTRAL), HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,

आर.के. पुरम/R.K. Puram,

नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated 6-6-2017

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,

सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन - अगस्त, 2017.

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र अगस्त, 2017 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 10-11 अगस्त, 2017 को होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। कक्षाएं दिनांक 16 अगस्त, 2017 से आरंभ होंगी। प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक "क" में विस्तार से दी गई है। प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 28.07.2017 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं।

हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः अनुरोध है कि कर्मिकों का प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण
अवधि	16 अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 (प्रतिदिन 1 घंटा)
परीक्षा	जनवरी के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।
पात्रता : केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्यः सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों(अवर श्रेणी लिपिकों), डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा	

कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स/डाटा ऑपरेटर्स आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का काम करते और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

स्वैच्छिक :

- वर्तमान में सहायकों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों(उच्च श्रेणी लिपिकों) तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।
- सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि।

चयन का आधार

- जिन कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, उन्हें अन्य मानक, जैसे संवर्ग/सेवा की श्रेणी समान होने पर, उनकी आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यह शर्त प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और सीटों के भरने तक ही लागू रहेगी। यदि इसके बाद भी कक्षा में स्थान रिक्त रहता है तो स्वैच्छिक आधार पर नामित किए गए कर्मचारियों को अधिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण के आरंभ होने की तिथि से सेवानिवृत्ति को एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि० मि० से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

परीक्षा शुल्क

- केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के लिए 100/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

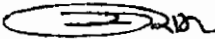
नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक "क" पर दिया गया है ।
- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं ।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए ।
- पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि) को भी अवश्य प्रेषित की जाए ।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में 10-11 अगस्त, 2017 को प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अतः इस परिपत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर संपर्क करना है ।
- संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके ।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है, बशर्त, वहां स्थान उपलब्ध हो ।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कर्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

भवदीय,



(संत राम)

6/6/2017

उप निदेशक (टंकण/आ.)

Chiti 1035

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लॉक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6, नई दिल्ली	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा फोन 26175246	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
3	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	श्री बाबू राम वोहरा फोन 23036516	डाक भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि	कंप्यूटर पर
4.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार फोन 23098591/4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, केन्द्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
5.	बी-ब्लॉक कमरा नं. 107, बी-ब्लॉक हटमेंट्स, (साउथ ब्लॉक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर फोन 23014875	सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लॉक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, तथा आसपास हटमेंट्स में स्थित कार्यालय	कंप्यूटर पर
6.	रेल भवन कमरा नं. 564-जे, रेल भवन, नई दिल्ली	श्री चमन सिंह फोन 23215045	रेल भवन कृषि भवन, उद्योग भवन,	कंप्यूटर पर
7.	योजना भवन कमरा नं. 519-ए, संसद मार्ग, योजना भवन, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23042529	योजना भवन, आकाशवाणी, रिजर्व बैंक तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
8.	मानक भवन भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250 बहादुरशाह जफर मार्ग	श्री रामसकल सिंह फोन 23215045	मानक भवन, आयकर भवन, तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर

नामांकन प्रपत्र

31/7/2017 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या		नामित कर्मचारियों का विवरण						सुविधाजनक केंद्र
टंकण	आशु.	प्रशिक्षण		नाम/पदनाम	दूरभाष/ ई-मेल	हिंदी में योग्यता	जन्म तिथि	
		टंकण	आशु.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नामित करने वाले अधिकारी का नाम.....

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं० सहित.....

ई-मेल आई-डी

पृष्ठांकन सं० 13/1/2017-उ.नि.(टं/आ.)/2080-2580

दिनांक: 6-6-2017

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव को सचिव के सूचनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली ।
5. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय ।
9. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खण्ड-7, आर०के०पुरम, नई दिल्ली ।
10. केन्द्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली ।
11. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
12. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
15. संपादक, राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पमाला, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
16. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
17. निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली ।
18. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
19. उप निदेशक (परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया परीक्षा की व्यवस्था करें ।
20. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
21. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चैन्नै/गुवाहाटी ।
22. सहायक निदेशक (टं/आ.) हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण केन्द्र.....
23. सहायक निदेशक (टं/आशु.), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, के.हि.प्र.सं. नई दिल्ली ।

(संत राम) 6/6/2017
उप निदेशक (टं/आ.)
Chti 1035